

प्रारंभिक परीक्षा

नमस्ते योजना(NAMASTE SCHEME)

संदर्भ

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना के तहत हुई बड़ी प्रगति की घोषणा की, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग, पीपीई वितरण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता पर प्रकाश डाला गया।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (NAMASTE) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देकर सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई को समाप्त करना है।
- यह तकनीक आधारित स्वच्छता प्रणालियों के माध्यम से मैनुअल मैला ढोने की प्रथा को प्रतिस्थापित करते हुए स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सम्मान, व्यावसायिक सुरक्षा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- द्वारा लॉन्च किया गया: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।

प्रमुख विशेषताएँ

- श्रमिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण: सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग और सत्यापन किया जाता है और उन्हें पीपीई किट, स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान कार्ड सहायता प्रदान की जाती है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार हो सके।
- एसयूवाई के माध्यम से वित्तीय सहायता: स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत, सफाई कर्मचारियों और सफाई उद्यमियों को मशीनीकृत सफाई वाहन और उपकरण खरीदने के लिए अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- कचरा बीनने वालों को शामिल करना: जून 2024 से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वालों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक संरक्षण और औपचारिक मान्यता का दायरा बढ़ा है।

जलवायु अनुकूलन और लचीलापन: भारत के एनडीसी के लिए मार्ग (2031-35)

संदर्भ

भारत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन को अपनी विकास रणनीति में मुख्यधारा में ला रहा है।

भारत में जलवायु भेद्यता की वर्तमान स्थिति

- भारत विश्व स्तर पर नौवां सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देश है।
- 1995 और 2024 के बीच, भारत ने 430 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज कीं, जिसके परिणामस्वरूप 170 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ और 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए।

जलवायु लचीलापन के लिए संस्थागत मॉडल

- NICRA (जलवायु लचीली कृषि में राष्ट्रीय नवाचार): 151 हॉटस्पॉट में 448 गांवों को कवर करने वाली एक ICAR पहल, जो जलवायु-स्मार्ट कृषि और जोखिम मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- तमिलनाडु के जलवायु लचीले गांव (CRV): आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 द्वारा "सर्वोत्तम अभ्यास" के रूप में मान्यता दी गई है। यह 11 जिलों में एक समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक आजीविका को एकीकृत करता है।

अनुकूलन वित्तपोषण में चुनौतियाँ

- बजटीय असंतुलन: वित्त वर्ष 2022 में अनुकूलन व्यय का अनुमान जीडीपी के 5.6% पर लगाया गया था, जबकि केंद्रीय बजट 2026-27 उत्सर्जन न्यूनीकरण पर अत्यधिक केंद्रित है।

- **वर्गीकरण संबंधी कमियाँ:** जलवायु वित्त वर्गीकरण (2025) का मसौदा ढाँचा वर्तमान में शमन-केंद्रित है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और वित्त पोषण करने के लिए स्पष्ट वर्गीकरण का अभाव है।
- **वैश्विक वित्त अंतर:** यूएनईपी अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष 284-339 अरब डॉलर के वित्त पोषण अंतर का सामना करना पड़ेगा।

अनुकूली क्षमता को मजबूत करने के लिए रणनीतियाँ

- **जलवायु बजट:** वित्त मंत्रालय को राज्य वित्त विभागों के माध्यम से जलवायु बजट को अनिवार्य करना चाहिए, वार्षिक बजटीय योजना में अनुकूलन लक्ष्यों को एकीकृत करना चाहिए।
- **लाभों की मात्रा निर्धारित करना:** अनुकूलन में निवेश पर दस गुना रिटर्न (WRI के अनुसार) को उजागर करने से निजी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
- **राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी):** ब्लॉक स्तर पर नियमित भेद्यता आकलन सहित जलवायु परिवर्तन पर अद्यतन राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) के माध्यम से एनडीसी को कार्यान्वित करना।
- **संपूर्ण-प्रणाली दृष्टिकोण:** कौशल विकास, जलवायु-विस्थापित आबादी के लिए पुनर्वास दिशानिर्देश और जलवायु परिवर्तन कोशिकाओं में समर्पित कार्यबल को शामिल करने के लिए बुनियादी ढाँचे से आगे बढ़ना।
- **स्थानीय नेतृत्व वाला अनुकूलन (एलएलए):** सीओपी30 का एक मुख्य विषय, जो इस बात पर जोर देता है कि लचीलापन नियोजन को राष्ट्रीय जनादेश से पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में स्थानांतरित होना चाहिए।

कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी

संदर्भ

त्रिशूर पूरम उत्सव में जानवरों के कष्ट और मनुष्यों के घायल होने की घटनाओं के बाद, विशेषज्ञ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए पारंपरिक उच्च ध्वनि वाले पटाखों से "कोल्ड स्पार्क" तकनीक की ओर बदलाव की वकालत कर रहे हैं।

ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य

- **पशु संकट:** त्रिशूर पूरम जैसे त्योहारों के दौरान डेसिबल का स्तर 122.4 डीबी पर पहुंच गया है। हाथी और अन्य जानवर न केवल मात्रा से बल्कि शोर की विशिष्ट संरचना और आवृत्ति से विचलित हो जाते हैं, जिससे अप्रत्याशित व्यवहार और चोटें आती हैं।

Area/ Zone	Category of Area / Zone	Limits in dB(A) Leq Day Time (from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.)	Limits in dB(A) Leq Night Time (from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.)
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

- **"साइलेंस ज़ोन" उल्लंघन:** नेशनल एम्बिएंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क साइलेंस ज़ोन (अस्पतालों/स्कूलों) के लिए 40-50 डीबी अनिवार्य करता है। पारंपरिक आतिशबाजी, कानूनी रूप से 125 डीबी पर सीमित है, अक्सर इन मानदंडों का उल्लंघन करती है, जिससे नवजात गहन देखभाल इकाइयों (एनआईसीयू) और शिशु मस्तिष्क के विकास के लिए खतरा पैदा होता है।
- **डब्ल्यूएचओ वर्गीकरण:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ध्वनि प्रदूषण को वायु और जल प्रदूषण के बाद मानव स्वास्थ्य के लिए तीसरा सबसे खतरनाक पर्यावरणीय खतरा मानता है।

कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी

"कोल्ड स्पार्कलर" विस्फोटक दहन के बजाय रासायनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके पारंपरिक आतिशबाजी का एक शोर रहित, सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं।

- **कार्यप्रणाली:** इस तकनीक में दानेदार धातु मिश्रधातु पाउडर (आमतौर पर टाइटेनियम और जिंकोनियम) का उपयोग किया जाता है। हीटर और पंखे से लैस एक उपकरण पाउडर की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है और उसे हवा में फैला देता है।

- **रासायनिक अभिक्रिया:** गर्म पाउडर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, जिससे विस्फोट की तेज आवाज के बिना एक चमकदार, फुलझड़ी जैसा दृश्य प्रभाव उत्पन्न होता है।
- **तापीय सुरक्षा:** पारंपरिक फुलझड़ियाँ लगभग 1,200°C पर जलती हैं, जिससे आग लगने का अत्यधिक खतरा होता है। कोल्ड स्पार्क यूनिट 60-100°C के बीच काम करती हैं, जिससे जलने और आग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है।
- **दृश्य श्रेष्ठता:** आधुनिक स्पार्कलर्स को क्रमिक रूप से चालू किया जा सकता है जिससे प्रकाश के झरनों और ऊर्ध्वाधर फव्वारों का निर्माण होता है, जो धुएं और ध्वनि के बिना पारंपरिक प्रदर्शनों की भव्यता को दोहराते हैं।

एनजीटी ने आर्सेनिक और फ्लोराइड के शमन को अनिवार्य किया

संदर्भ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने भारत के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के संदूषण के गंभीर स्तरों को संबोधित करने के लिए सभी 28 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का हवाला दिया गया है।

भूजल प्रदूषक और प्रभाव

भूजल प्रदूषक	प्रभावित क्षेत्र	स्वास्थ्य पर प्रभाव
आर्सेनिक	पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश	आर्सेनिकोसिस, कैंसर, हृदय रोग
फ्लोराइड	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान	डेंटल फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस, नॉक-नी सिंड्रोम

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(NGT) के निर्देश

- **राज्य की जिम्मेदारी:** सभी 28 राज्यों को जिलों, गांवों और ब्लॉकों में संदूषण के स्तर पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- **केंद्रीय निगरानी:** केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को राज्यों द्वारा अपनाए गए शमन उपायों की नियमित निगरानी का कार्य सौंपा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी और समयबद्ध हैं।
- **उपचारात्मक प्रौद्योगिकियाँ:** न्यायाधिकरण ने सीजीडब्ल्यूए द्वारा सुझाए गए कई वैज्ञानिक समाधानों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:
 - **जल शोधन संयंत्र:** तत्काल राहत के लिए स्थानीय इकाइयाँ।
 - **आयन-विनिमय प्रक्रियाएँ:** जल से विशिष्ट आयनों को हटाने की रासायनिक विधियाँ।
 - **रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ):** एक व्यापक झिल्ली-आधारित शुद्धिकरण तकनीक।

सिंथेटिक बैडमिंटन शटल(SYNTHETIC BADMINTON SHUTTLES)

संदर्भ

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के शासी निकाय ने घोषणा की कि वह ग्रेड 3 और जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिंथेटिक शटलकॉक (synths) के ब्रांडों का परीक्षण करेगा। BWF ने लंबी अवधि में शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंटों में पारंपरिक फेदर शटल को सिंथ के साथ बदलने की योजना बनाई है।

सिंथेटिक शटलकॉक की ओर बढ़ने की आवश्यकता

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने आधिकारिक तौर पर विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय स्तरों के लिए अप्रैल 2026 में सिंथेटिक शटलकॉक (synths) में परिवर्तन को मंजूरी दे दी।

- **"पंख संकट" (The "Feather Crisis"):** पारंपरिक शटलकॉक के लिए एक ही हंस/बत्तख के एक ही पंख से 16 पंखों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कारणों से कीमतों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है:
 - **आपूर्ति की कमी:** चीन (प्राथमिक उत्पादक) में एवियन फ्लू का प्रकोप और पशुपालन का लाल मांस (red meat) की ओर स्थानांतरण।
 - **उच्च मांग:** भारत, इंडोनेशिया और चीन में बढ़ती लोकप्रियता।

- **सततता (Sustainability):** खेल की पशु उत्पादों पर निर्भरता और उच्च-परिवहन कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।
- **BWF मैडेट:** वर्तमान में ग्रेड 3 और जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए संभावित रूप से एलीट टियर में जाने से पहले प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अनुमोदित है।

सिंथेटिक शटल की भौतिक संरचना और स्वरूप (Synths)

सिंथेटिक शटल औद्योगिक सामग्रियों का उपयोग करके प्राकृतिक पंखों की जटिल वायुगतिकी (aerodynamics) को दोहराने का लक्ष्य रखते हैं:

- **स्वरूप:** विशिष्ट नींबू जैसा पीला रंग (हंस के पंखों के "राजसी सफेद" के विपरीत)।
- **संरचना:**
 - **आधार (Base):** पारंपरिक प्राकृतिक कॉर्क को बरकरार रखता है।
 - **स्टेम (Stems):** कठोरता के लिए कार्बन ग्रेफाइट या नायलॉन कंपोजिट से निर्मित।
 - **स्कर्ट (Skirt):** नायलॉन नैनो-शीट्स से निर्मित, जिसमें "शेवरॉन होल" (V-आकार के छिद्र) होते हैं, जिन्हें पंखों के वायु खिंचाव (air drag) को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **फिनिशिंग:** घटकों को उच्च-शक्ति वाले धागे से बांधा जाता है और अत्यधिक स्थायित्व के लिए एपॉक्सी राल (epoxy resin) के साथ लेपित किया जाता है।
- **सुरक्षा चेतावनी:** कुछ शुरुआती बैचों में स्टॉक में धातु तत्व पाया गया था, जिससे उच्च गति वाले स्मैश के दौरान आंखों की चोटों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **अनुमोदित कृत्रिम शटल:**
 - Victor NCS MAX 12 - कार्बन ग्रेफाइट + फोम इंसर्ट्स
 - Yonex Crosswind 70 - अधिक कठोर नायलॉन आधार

सिंथेटिक शटल की प्रमुख चिंताएँ

1. प्रदर्शन और अनुभव (Performance & Feel)

- **"प्राकृतिक बुद्धिमत्ता" की कमी:** प्राकृतिक पंखों के विपरीत, कृत्रिम शटल गिरने (tumbles) के दौरान अपने उड़ान पथ को "स्वतः-संशोधित" नहीं करते हैं, जिससे सूक्ष्म स्पनिंग नेट शॉट्स को निष्पादित करना कठिन हो जाता है।
- **कौशल निष्प्रभावीकरण (Skill Neutralization):** प्रशिक्षकों को डर है कि कम प्रतिक्रियाशील सामग्री "स्पर्श" (touch) और "छल" (deception) को कम प्रभावी बनाकर विशिष्ट खिलाड़ियों और निचले स्तर के खिलाड़ियों के बीच के अंतर को कम कर देगी।
- **अनुमानयोग्यता (Predictability):** कृत्रिम शटल को अक्सर "रोबोटिक" या एकसमान अनुभव वाला बताया जाता है, जिसमें हंस-पंख वाले शटल की जैविक प्रतिक्रिया (organic feedback) का अभाव होता है।

2. वायुगतिकी (उड़ान)

- **गति प्रबंधन:** कृत्रिम शटल में पंखों के "वायुगतिकीय ब्रेक" की कमी होती है। पंख वाले शटल की 300 किमी/घंटा की गति (धीमी गति के कारण) के बजाय 400 किमी/घंटा की गति से आने वाला स्मैश रक्षात्मक समय (defensive timing) को बाधित करता है।
- **उड़ान स्थिरता:** परीक्षणों ने दिखाया है कि कृत्रिम शटल "अस्थिर" हो सकते हैं, कभी-कभी डगमगाते हैं या उड़ान के बीच में अचानक गति खो देते हैं।

3. भौतिक अखंडता और सुरक्षा

- **विनाशकारी विफलता:** टिकाऊ होने के बावजूद, ये खराब (fray) नहीं होते हैं; यदि गलत तरीके से मारा जाए, तो ये "समाचार पत्र की तरह सिमट" जाते हैं और तुरंत खेलने के अयोग्य हो जाते हैं।
- **धातु/कार्बन जोखिम:** आधार में धातु तत्वों और कार्बन ग्रेफाइट की किरचें (splinters) उच्च-वेग खेल के दौरान आंखों और त्वचा की चोट के गंभीर जोखिम पैदा करती हैं।
- **घटकों का अलग होना:** स्थिरता फोम या नैनो-शीट्स रैली के बीच में उड़ सकते हैं, जिससे उड़ान तुरंत बदल जाती है।

4. दृश्य और मानक

- **रंग परिवर्तन:** "राजसी सफेद" से "नींबू जैसे पीले" की ओर बढ़ने से स्टेडियम की कुछ लाइटिंग में दृश्यता प्रभावित होती है।
- **मानकीकरण:** अनुमोदित मॉडलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है (जैसे, सख्त Victor NCS Max बनाम नरम Yonex Crosswind)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महामारी समझौते के तहत रोगजनकों तक पहुंच और लाभ साझाकरण (PABS)

संदर्भ

रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण (PABS) ढांचे के लिए बातचीत अंतिम चरण में है।

रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण (PABS) के बारे में

- PABS महामारी समझौते का परिचालन केंद्र है। इसे एक अलग "परिशिष्ट" (विशेष रूप से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत) के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस परिशिष्ट के बिना, समझौते में टीकों के वास्तविक वितरण या डेटा साझाकरण के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं है।
- PABS, WHO महामारी समझौते के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र है। यह एक वैश्विक "प्रतिदान" के रूप में कार्य करता है: रोगजनकों तक त्वरित पहुंच के बदले निष्पक्ष लाभ साझाकरण।
- संक्षेप में, PABS एक वैश्विक व्यापार समझौता है: देश वायरस डेटा साझा करते हैं, और बदले में, उन्हें इलाज में हिस्सेदारी की गारंटी दी जाती है।
- PABS प्रणाली का उद्देश्य एक बहुपक्षीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो पहले डिस्कनेक्ट किए गए दो मांगों के बीच एक "समान स्तर" बनाता है:
 - **त्वरित पहुंच:** जब किसी नए खतरनाक रोगजनक की खोज होती है, तो देश निम्नलिखित साझा करने पर सहमत होते हैं:
 - **भौतिक नमूने:** वास्तविक जैविक सामग्री (उदाहरण के लिए, एक शीशी में "स्लाइम")।
 - **आनुवंशिक अनुक्रम डेटा (जीएसडी):** वायरस का डिजिटल कोड या "ब्लूप्रिंट"।
 - **समयसीमा:** यह साझाकरण "तेजी से" होना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक और कंपनियां तुरंत टीके और परीक्षण पर काम शुरू कर सकें।
 - **लाभ साझाकरण:** इस पहुंच के बदले में, PABS सामग्री का उपयोग करने वाली दवा कंपनियों को WHO के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने होंगे। इन अनुबंधों में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:
 - **20% नियम:** निर्माताओं को महामारी उत्पादों (टीके, उपचार, परीक्षण) के अपने वास्तविक उत्पादन का 20% आरक्षित रखना होगा।
 - 10% WHO को निःशुल्क दान किया जाता है।
 - 10% किफायती, गैर-लाभकारी कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है।
 - **मौद्रिक योगदान:** कंपनियां वैश्विक तैयारियों के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर सकती हैं।
 - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** कंपनियों को अपनी "प्रणाली" साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में टीकों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सके।

PABS के तहत वर्तमान में जिन मुद्दों पर बहस चल रही है

विशेषता	वर्तमान "मसौदा" वास्तविकता
20% नियम	निर्माताओं को अपने उत्पादन का 10% मुफ्त में और 10% गैर-लाभकारी कीमतों पर WHO को देना

	आवश्यक होगा।
GSD ट्रेकिंग	वार्ताकार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि डिजिटल अनुक्रम डेटा के उपयोगकर्ताओं को कैसे ट्रैक किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि "डिजिटल जैव-चोरी" (लाभ साझा किए बिना डेटा का उपयोग करना) न हो।
मानकीकृत अनुबंध	मामले-दर-मामले के सौदों के बजाय, WHO मानकीकृत, लागू करने योग्य अनुबंध चाहता है जिन पर प्रत्येक निर्माता को PABS डेटा लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए हस्ताक्षर करने चाहिए।
'वन हेल्थ' दायरा	अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि क्या PABS में केवल मानव वायरस शामिल होने चाहिए या जानवरों में पाए जाने वाले जूनोटिक रोगजनक भी शामिल होने चाहिए, इससे पहले कि वे मनुष्यों में फैलें।


उत्तर बनाम दक्षिण वाद-विवाद

- **वैश्विक दक्षिण (समता समूह):** भारत, ब्राजील और अफ्रीकी समूह जैसे देशों के नेतृत्व में, वे इस बात पर जोर देते हैं कि रोगाणुओं को साझा करना कानूनी रूप से लाभ-साझाकरण से जुड़ा होना चाहिए। वे ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं जो लाभ को स्वैच्छिक कॉर्पोरेट दान पर छोड़ देती है।
- **वैश्विक उत्तर (यूरोपीय संघ, अमेरिका, आदि):** हालांकि वे सिद्धांत से सहमत हैं, उन्हें चिंता है कि सख्त अनिवार्य पंजीकरण और उत्पादन कोटा नवाचार को बाधित कर सकता है या बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ कानूनी संघर्ष पैदा कर सकता है।

रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण (PABS) फ्रेमवर्क की आवश्यकता

- **असमानता का अंतर:** COVID-19 के दौरान, उच्च आय वाले देश 2021 की शुरुआत तक 50% टीकाकरण तक पहुंच गए थे, जबकि कम आय वाले देश 1% से नीचे रहे।
- **"डेटा जाल" (Data Trap):** दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देशों ने नए वेरिएंट (जैसे ओमिक्रॉन) पर जीनोमिक डेटा तुरंत साझा किया, लेकिन बदले में उन्हें यात्रा प्रतिबंधों और टीकों के लिए "कतार में अंतिम" स्थिति का सामना करना पड़ा। PABS यह सुनिश्चित करता है कि डेटा प्रदाता सबसे पहले लाभान्वित हों, अंतिम नहीं।
- **सद्भावना के साथ समस्या:** ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक स्वास्थ्य स्वैच्छिक दान (जैसे COVAX) पर निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर "समाप्ति के निकट" वाली खुराकें मिलीं या धनी देशों द्वारा अधिक बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया गया।
- **कानूनी बदलाव:** PABS "शायद" को "अवश्य" से बदल देता है। यह मानकीकृत, कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंधों का उपयोग करता है ताकि रोगाणु के "ब्लूप्रिंट" तक पहुंच कानूनी रूप से अंतिम उत्पाद को साझा करने की प्रतिबद्धता से जुड़ी हो।
- **डिजिटल खामी:** आधुनिक mRNA तकनीक कंपनियों को भौतिक नमूनों की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए, इंटरनेट से डाउनलोड किए गए केवल आनुवंशिक अनुक्रम डेटा (GSD) का उपयोग करके टीकों को "प्रिंट" करने की अनुमति देती है।
- **PABS समाधान:** यह सुनिश्चित करके कि डिजिटल पहुंच उसी लाभ-साझाकरण दायित्वों को जन्म देती है जैसे कि भौतिक नमूने, यह खामी को बंद कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ कमाने वाले डेटा-उत्पन्नकर्ताओं को वापस योगदान दें।
- **पारदर्शिता बनाम डर:** यदि देशों को आर्थिक दंड (जैसे यात्रा प्रतिबंध) या दवा की कमी का डर है, तो वे नए प्रकोपों (जैसे बर्ड फ्लू) को छिपा सकते हैं।
- **"20% बीमा":** 20% उत्पादन रिजर्व (10% मुफ्त, 10% लागत पर) की गारंटी देकर, PABS देशों को खतरों की जल्द रिपोर्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है।

- **जूनोटिक ट्रैकिंग:** 75% नई बीमारियों के जानवरों से उत्पन्न होने के कारण, PABS का उद्देश्य रोगाणुओं के मनुष्यों में पहुंचने से पहले उन्हें ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली बनाना है।
- **एकीकृत निगरानी:** यह पशु-से-मानव प्रसार (spillover) की निगरानी के लिए आवश्यक औपचारिक संरचना प्रदान करता है, जिससे खंडित प्रतिक्रिया के बजाय एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।



मुख्य परीक्षा

महिलाओं का राजनीतिक आरक्षण

संदर्भ

वैश्विक आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, फिर भी विधायी निकायों में उनकी उपस्थिति अनुपातहीन बनी हुई है। विश्व स्तर पर, वे संसदीय सीटों का केवल एक-चौथाई हिस्सा ही हासिल कर पाती हैं। भारत में भी, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्षों से क्रमिक सुधार के बावजूद 13-14% के आसपास ही बना हुआ है।

महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले तर्क

- **संवैधानिक समर्थन और वास्तविक समानता:** संविधान अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। आरक्षण को वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए एक सुधारात्मक उपकरण के रूप में देखा जाता है, न कि केवल औपचारिक समानता के रूप में।
- **प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करना:** एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनी आबादी की संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। महिलाओं के समाज का लगभग आधा हिस्सा बनने के साथ, उनका कम प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक असंतुलन पैदा करता है।
- **ऐतिहासिक नुकसानों को संबोधित करना:** लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक मानदंडों ने शिक्षा, संपत्ति और सार्वजनिक भागीदारी तक महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। आरक्षण इस संरचनात्मक बहिष्करण की भरपाई के लिए एक प्रतिपूरक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव:** अध्ययनों से पता चलता है कि महिला नेता अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पेयजल और पोषण जैसी आवश्यक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कल्याण परिणामों में सुधार होता है।
- **लिंग-विशिष्ट मुद्दों पर अधिक ध्यान:** महिला प्रतिनिधियों को विधायी बहस में मातृ स्वास्थ्य, लिंग हिंसा और बाल कल्याण जैसी चिंताओं को उजागर करने की अधिक संभावना है।
- **आवश्यक बहुमत प्राप्त करना:** राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार, नीति को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए महिलाओं को कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। आरक्षण इस सीमा को तेजी से प्राप्त करने में सहायक होता है।
- **प्रेरणादायक प्रभाव:** नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती दृश्यता युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है, जिससे शिक्षा, महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है।

महिला आरक्षण के विरोध में तर्क

- **योग्यता को लेकर चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण योग्यता से समझौता कर सकता है क्योंकि यह क्षमता के बजाय लिंग को प्राथमिकता देता है, जिससे अनुचित लाभ की धारणाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा:** स्थानीय स्तर पर, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित किया जाता है, जिससे वास्तविक सशक्तिकरण सीमित हो जाता है।
- **क्षमता का प्रश्न:** कुछ लोगों का तर्क है कि सीटों को आरक्षित करना अनजाने में संकेत दे सकता है कि महिलाओं को सफल होने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती है।
- **महिलाओं के बीच असमान लाभ:** एक जोखिम है कि आरक्षण मुख्य रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों (शहरी, शिक्षित महिलाओं) को लाभान्वित कर सकता है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों को तब तक कम प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जब तक कि उप-कोटा सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
- **एकरूपता का अभाव:** महिलाएं एक समान समूह नहीं हैं; उनकी रुचियां जाति, वर्ग और क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इसलिए, एक कोटा विविध वास्तविकताओं को संबोधित नहीं कर सकता है।
- **मतदाता की पसंद पर सीमा:** निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करना मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों को चुनने से रोकता है, क्योंकि विकल्प एक विशिष्ट लिंग तक सीमित हो जाते हैं।

आगे की राह

- **दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र:** एक निर्वाचन क्षेत्र से दो प्रतिनिधियों (एक पुरुष और एक महिला) का चुनाव पुरुष उम्मीदवारों को बाहर किए बिना समावेशन सुनिश्चित कर सकता है।
- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली:** बारी-बारी से पुरुष और महिला उम्मीदवारों के साथ पार्टी-सूची प्रणाली को अपनाने से निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किए बिना संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **अनिवार्य पार्टी-स्तरीय कोटा:** राजनीतिक दलों को महिलाओं को टिकटों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना:** छात्र राजनीति, नागरिक समाज और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भविष्य के नेताओं की एक मजबूत पाइपलाइन का निर्माण कर सकता है।

उच्च शिक्षा में समता अंतराल (EQUITY DEFICIT)

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता प्रोत्साहन विनियम, 2026' को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है, जिसने यह उल्लेख किया कि कुछ प्रावधान अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना हो सकती है।

वास्तविक समता अंतराल (इक्विटी गैप) की अवधारणा

उच्च शिक्षा में समता अंतराल का तात्पर्य छात्र प्रवेश में हाशिए पर स्थित सामाजिक समूहों के अनुपात और शैक्षणिक रोजगार एवं नेतृत्व की भूमिकाओं में उनकी महत्वपूर्ण रूप से कम उपस्थिति के बीच असंतुलन से है।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ और साक्ष्य

- **रोजगार बनाम आरक्षण मानदंड:** शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर अनुसूचित जाति (15%), अनुसूचित जनजाति (7.5%), और अन्य पिछड़ा वर्ग (27%) समुदायों का प्रतिनिधित्व निर्धारित आरक्षण स्तरों से नीचे बना हुआ है।
- **ऊर्ध्वधर असंतुलन:** उच्च पदों—जैसे प्रोफेसर्स और प्रशासकों—पर प्रवेश स्तर या सहायक भूमिकाओं की तुलना में यह असमानता और विस्तृत हो जाती है।
- **प्रवेश की स्थिति:** स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तरों पर, प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है; कुछ मामलों में (विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति), यह अपेक्षित अनुपात से भी अधिक है।
- **शिकायत निवारण:** 2023-24 के दौरान, विश्वविद्यालयों के समान अवसर प्रकोष्ठों ने सैकड़ों शिकायतों की सूचना दी, जिनमें समाधान की दर उच्च रही, विशेष रूप से एससी/एसटी से संबंधित मामलों में।

समता अंतराल की प्रकृति

- **संरचनात्मक रोजगार विलंब:** जबकि प्रवेश को वार्षिक रूप से समायोजित किया जा सकता है, धीमी बदलाव (टर्नओवर) और विरासत भर्ती पैटर्न के कारण रोजगार की असमानताएं लंबे समय तक बनी रहती हैं।
- **नेतृत्व प्रतिनिधित्व का अभाव:** हाशिए पर स्थित समुदाय वरिष्ठ शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर, विशेष रूप से केंद्रीय संस्थानों में, अल्प-प्रतिनिधित्व वाले बने हुए हैं।
- **नीतिगत फोकस असंतुलन:** मौजूदा विनियम भेदभाव को दंडित करने पर जोर देते हैं, लेकिन न्यायसंगत भर्ती और करियर की प्रगति को सक्षम करने में विफल रहते हैं।
- **डेटा अंतराल:** शिकायतों पर विस्तृत, समूह-वार डेटा की कमी संस्थागत समता के व्यापक मूल्यांकन को सीमित करती है।
- **सामाजिक विखंडन का जोखिम:** सख्त भेदभाव-विरोधी ढांचे, यदि एकीकरण के उपायों के साथ नहीं जोड़े जाते हैं, तो अनजाने में सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकते हैं।

अंतर्निहित कारण

- **ऐतिहासिक भर्ती पैटर्न:** आरक्षण नीतियों के कमजोर प्रवर्तन की पिछली अवधि वर्तमान कार्यबल संरचना को आकार देना जारी रखती है।
- **वैचारिक अस्पष्टता:** नीतियां अक्सर समता सुनिश्चित करने (निष्पक्ष परिणाम) और भेदभाव को रोकने (दंडात्मक कार्रवाई) के बीच के अंतर को धुंधला कर देती हैं।
- **सीमित नियामक दायरा:** वर्तमान तंत्र भर्ती और पदोन्नति में प्रणालीगत सुधारों के बजाय शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **संस्थागत राजनीति:** परिसरों के भीतर पहचान-आधारित गुटबाजी समावेशिता को बढ़ावा देने के बजाय कभी-कभी विभाजन को पुख्ता करती है।

संस्थागत उपाय

- **यूजीसी समता विनियम, 2026:** भेदभाव को दूर करने और संस्थानों में सक्रिय रूप से समता प्रोत्साहन को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से।
- **समान अवसर प्रकोष्ठ (EOCs):** भेदभाव की शिकायतों के समाधान के लिए विश्वविद्यालयों के भीतर समर्पित निकाय।
- **एससी/एसटी प्रकोष्ठ:** आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष इकाइयां।
- **समता हेल्पलाइन:** भेदभाव के मामलों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई सहायता प्रणालियाँ।

आगे की राह

- **वरिष्ठ-स्तर के समावेश को प्राथमिकता देना:** संकाय नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए केंद्रित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
- **सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना:** पहचान-आधारित तनावों को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए समूहों के बीच संवाद और एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- **समग्र अपराध न्यूनीकरण दृष्टिकोण:** पहचान-आधारित घटनाओं को अलग-थलग करने के बजाय, कैंपस सुरक्षा में सुधार के व्यापक प्रयास आवश्यक हैं।
- **नियामक स्पष्टता को मजबूत करना:** केवल शिकायत तंत्र पर निर्भर रहने के बजाय संरचनात्मक असमानताओं को सीधे संबोधित करने के लिए मौजूदा विनियमों को परिष्कृत करना।
- **पहचान-आधारित ध्रुवीकरण को कम करना:** ऐसी संस्थागत संस्कृतियों को बढ़ावा दें जो विभाजनकारी राजनीति को हतोत्साहित करें और साझा शैक्षणिक लक्ष्यों पर जोर देना।

अनौपचारिक क्षेत्र

संदर्भ

नोएडा में हाल ही में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों ने भारत के शहरी अनौपचारिक कार्यबल में बढ़ती कमजोरियों को उजागर किया है।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र

परिभाषा और दायरा

- अनौपचारिक क्षेत्र से तात्पर्य उन आर्थिक गतिविधियों से है जो औपचारिक नियामक और संस्थागत ढाँचों से बाहर संचालित होती हैं।
- इसमें स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, छोटे विक्रेता और अपंजीकृत उद्यम शामिल हैं।
- इन श्रमिकों के पास नौकरी की सुरक्षा, लिखित अनुबंध और सामाजिक संरक्षण का अभाव होता है, जिससे वे आर्थिक झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

आकार और आर्थिक महत्व

- अनौपचारिक क्षेत्र भारत के लगभग 90% कार्यबल को रोजगार देता है, जो इसे आजीविका का प्रमुख स्रोत बनाता है।

- शहरी क्षेत्रों में भी, औपचारिक वेतनभोगी नौकरियां सीमित रहती हैं, और श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर करता है।
- अपने पैमाने के बावजूद, औपचारिक डेटा और संस्थागत कवरेज की कमी के कारण यह क्षेत्र कम पहचाना जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे

- रोजगार काफी हद तक अस्थिर और कम भुगतान वाला है, जिसमें कोई दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं है।
- स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुंच है।
- श्रमिक कम सौदेबाजी की शक्ति से भी पीड़ित हैं, खासकर शहरी श्रम बाजारों में।
- इसके अतिरिक्त, वित्तीय बहिष्करण कई श्रमिकों को अनौपचारिक क्रेडिट सिस्टम पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऋण चक्र होता है।

सरकारी पहल

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है।
- ई-श्रम पोर्टल बेहतर नीति लक्ष्यीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना चाहता है।
- पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान करती हैं।

भारत के शहरी अनौपचारिक कार्यबल की चुनौतियाँ

- नोएडा में श्रमिकों द्वारा हाल ही में विरोध प्रदर्शन शहरी श्रमिकों की बढ़ती अनिश्चितता को दर्शाता है।

शहरी आर्थिक संरचना में बदलाव

- शहरी केंद्रों में औद्योगिक उत्पादन केंद्रों से उत्तरजीविता-उन्मुख गतिविधियों के स्थानों में परिवर्तन हुआ है।
- मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में कपड़ा मिलों जैसे औपचारिक उद्योगों की गिरावट ने संगठित रोजगार को कम कर दिया है। इससे अनौपचारिक काम के प्रभुत्व वाले खंडित श्रम बाजार बन गए हैं।

जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का शहरीकरण

- शहर औद्योगिक उत्पादन के बजाय आवास, भोजन और बुनियादी सेवाओं जैसी सामाजिक प्रजनन गतिविधियों पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- इस बदलाव ने शहरी जीवन को जीवित रहने के बारे में अधिक बना दिया है, विशेष रूप से दैनिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करने वाले अनौपचारिक श्रमिकों के लिए।

खराब रहने की स्थिति और आवास का तनाव

- शहरी गरीबों का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहता है। लगभग 40% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें अक्सर स्वच्छता और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है।
- श्रमिक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं, कभी-कभी अपनी कमाई का आधा हिस्सा तक। कई बस्तियाँ खतरा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे भेद्यता बढ़ रही है।

नीति और आर्थिक सुधारों का प्रभाव

- उदारिकरण से प्रभावित आर्थिक सुधारों ने राज्य की भूमिका को एक सेवा प्रदाता से बाजार के सुविधा प्रदाता में स्थानांतरित कर दिया है।
- इससे पानी और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं का निजीकरण हो गया है, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए लागत बढ़ गई है।
- शहरी नीतियों ने जेंट्रीफिकेशन और बेदखली को भी बढ़ावा दिया है, जिससे किफायती आवास तक पहुंच कम हो गई है।

वित्तीय भेद्यता और ऋण

- संपार्श्विक की कमी के कारण, अनौपचारिक श्रमिक अक्सर औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों के बजाय स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप पुरानी ऋणग्रस्तता और वित्तीय अस्थिरता होती है।

समावेशी शहरी शासन की आवश्यकता

- अनौपचारिक श्रमिकों को शासन संरचनाओं में एकीकृत करने की आवश्यकता बढ़ रही है।
- श्रमिक परिषदों जैसी पहल शहरी निर्णय लेने में भागीदारी और प्रतिनिधित्व में सुधार करने में मदद कर सकती है।

